संख्या-203/2023/1033/22-2-2023-17(318)/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद् सिद्धदोष बन्दी मनोज पुत्र श्री वेद सिंह, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-03-2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद् सिद्धदोष बन्दी मनोज पुत्र श्री वेद सिंह, जो ग्राम-बसी, थाना-खेकड़ा, जनपद-बागपत का निवासी है। 1-बन्दी ने दिनांक 09.05.1993 को काम पर ना जाने के विवाद को लेकर तमंचे से गोली मारकर गय्यूर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2-पैसों के लेनदेन को लेकर हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर अशोक नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-745/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, मेरठ के आदेश दिनांक 07.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) केस संख्या-32/13.05.2006/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, सोनीपत के आदेश दिनांक 21.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3) वाद संख्या-279ए/2002 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, मेरठ द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (4) वाद संख्या-75/2011 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट, मेरठ द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.03.2023 तक 18 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण संभावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 09.05.1993 को काम पर ना जाने के विवाद को लेकर तमंचे से गोली मारकर गय्यूर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा (2)-द्वितीय केस में पैसों के लेनदेन को लेकर हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर अशोक नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया गया है। उक्त बन्दी को 02 वादों में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज पुत्र श्री वेद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद् सिद्धदोष बन्दी मनोज (बन्दी संख्या-49458) पुत्र श्री वेद सिंह, निवासी जनपद-बागपत को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-203/2023/1033(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमाननावाद (सिविल) डायरी संख्या-12538/2023 दिनेश व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य सम्बन्धित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-469/2022 नत्थूलाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कृष्ण कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-203/2023/1033/22-2-2023-17(318)/2023

दिनांक 08 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद् सिद्धदोष बन्दी मनोज पुत्र श्री वेद सिंह, जो ग्राम-बसी, थाना-खेकड़ा, जनपद-बागपत का निवासी है। 1-बन्दी ने दिनांक 09.05.1993 को काम पर ना जाने के विवाद को लेकर तमंचे से गोली मारकर गय्यूर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2-पैसों के लेनदेन को लेकर हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर अशोक नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-745/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10, मेरठ के आदेश दिनांक 07.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) केस संख्या-32/13.05.2006/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, सोनीपत के आदेश दिनांक 21.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (3) वाद संख्या-279ए/2002 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, मेरठ द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (4) वाद संख्या-75/2011 में धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट, मेरठ द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.03.2023 तक 18 वर्ष, 09 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 09 माह, 11 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण संभावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 09.05.1993 को काम पर ना जाने के विवाद को लेकर तमंचे से गोली मारकर गय्यूर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा (2)-द्वितीय केस में पैसों के लेनदेन को लेकर हुये विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2001 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर अशोक नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त बन्दी को 02 वादों में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज पुत्र श्री वेद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in